

बिहार सरकार
वाणिज्य—कर विभाग

—: संकल्प :-

पटना, दिनांक—

श्री विभांशु कौशल चौधरी, राज्य कर सहायक आयुक्त, खगड़िया अंचल, खगड़िया द्वारा दिनांक—16.09.2023 को समीक्षात्मक बैठक में बिना जानकारी दिये अनुपस्थित रहने एवं अंकेक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2018—19 के लिये चयनित अभिलेखों में से आवंटित अभिलेखों को निष्पादन ससमय नहीं किये जाने के कारण स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री चौधरी से प्राप्त स्पष्टीकरण के सम्यक् समीक्षोपरांत उनसे असहमत होते हुए सक्षम प्राधिकार द्वारा 'चेतावनी' संसूचित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में श्री विभांशु कौशल चौधरी, राज्य कर सहायक आयुक्त, खगड़िया अंचल, खगड़िया को "चेतावनी" संसूचित किया जाता है, जिसकी प्रवृष्टि इनके चारित्र्य वर्ष 2025—26 में की जायेगी

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 /—

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव

[Signature]

ज्ञापांक:— कौन/भी—132/2023 15/सी

पटना, दिनांक— 15.1.26

प्रतिलिपि:—माननीय मंत्री वाणिज्य—कर विभाग के आप्त सचिव/राज्य—कर आयुक्त—सह—सचिव, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/वित्त (व्यै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना को सी०डी० सहित दो प्रतियों में (आई०टी० मैनेजर के माध्यम से)/राज्य कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ/राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), खगड़िया अंचल, खगड़िया/राज्य कर संयुक्त आयुक्त, राजपत्रित स्थापना शाखा/ अवर सचिव, राजपत्रित स्थापना शाखा/आई०टी० मैनेजर, वाणिज्य—कर विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु एवं श्री विभांशु कौशल चौधरी, राज्य कर सहायक आयुक्त, खगड़िया अंचल, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

[Signature] 15.01.2026